

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक : प.6(ट)(149)लेखा//DLB/SFC/2012-13/ 16964

दिनांक : 14.3.2013

निदेशक,

स्थानीय निकाय विभाग,

राज0 जयपुर।

विषय : वर्ष 2012-13 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत नगर निगमों को अनुदान।

महोदय,

निर्देशानुसार संलग्न सूची के अनुसार राज्य की नगर निगमों को वर्ष 2012-13 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत द्वितीय किस्त के रूप में राशि रुपये 4372.09 लाख में से विभागीय स्तर पर राशि रुपये 630.49 लाख की कटौती करते हुए कुल राशि रुपये 3741.60 लाख (अक्षरे सैतीस करोड़ इकतालीस लाख साठ हजार रुपये मात्र) निम्न बजट मदों में व्यय अंकित करते हुये भुगतान किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

विकलेय मद	संशोधित प्रावधान 2012-13	पूर्व में हस्तान्तरित राशि	इस स्वीकृति पर संकल हस्तान्तरित राशि	विभागीय स्तर पर कटौती	शुद्ध देय राशि (3-4)
	1	2	3	4	5
मांग संख्या - 29					
2217 - शहरी विकास					
80 - सामान्य					
191 - नगर निगमों को सहायता					
(14) - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान					
[01] - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान					
12 - सहायतार्थ अनुदान(आयोजना) - मांग संख्या - 51	6173.38	3060.14	3113.24	630.49	2482.75
[02] - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान					
12 - सहायतार्थ अनुदान(आयोजना) - मांग संख्या - 30	1405.55	746.55	658.80	0.00	658.80
[03] - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान					
12 - सहायतार्थ अनुदान(आयोजना) - कुल योग राशि	1143.86	543.81	600.05	0.00	600.05
	8722.59	4350.50	4372.09	630.49	3741.60

उपरोक्त राशि निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर द्वारा सम्बन्धित नगर निगमों के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित की जावेगी। इस स्वीकृति के लिये वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति आई.डी.क्रमांक 171300342 दिनांक 08.03.2013 द्वारा विभागीय पत्रावली पर प्राप्त कर ली गयी है।

नगर निगमों द्वारा बरीयतः मूल अवसंरचना के उन्नयन, मूलभूत नागरिक सेवाओं का संचालन तथा विधि के अनुसार मूल कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिये आवंटित राशि का उपयोग किया जायेगा।

२२
उप शासन सचिव

क्रमांक : प.6(ट)(149)लेखा/अनु/SFC/DLB/2012-13/ 16965-17005 दिनांक : 14.3.2013
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
05. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को 10 अतिरिक्त प्रतियों भिजवाकर निवेदन है कि सम्बन्धित नगर निगमों को स्वीकृत अनुदान राशि उनके निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित करने की कार्यवाही करें।
06. प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हक)/(लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज0 जयपुर।
07. वरिष्ठ उप महालेखाकार, स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा एवम् लेखा राजस्थान जयपुर।
08. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3)/(आर्थिक मामलात) विभाग, राज0 जयपुर।
09. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. कार्यकारी निदेशक, Rajasthan Urban Infrastructure Finance & Development Corporation (RUIIFDCO) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि की गयी कटीतियों का समायोजन करावें।
11. जिला कलेक्टर, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर।
12. लेखाधिकारी, प्रधान महालेखाकार कार्यालय, लेखा एवं हक (डी.डी.प्रथम अनुभाग) जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेंक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
14. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर।
15. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर/जोधपुर शहर/कोटा/बीकानेर/अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित निकायों के निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तान्तरित कराने की व्यवस्था कराने का श्रम करावें तथा निर्धारित फार्म में लेखे महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवम् हक) के डी0 डी0 प्रथम अनुभाग में भिजवाने की व्यवस्था करावे।
16. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस स्वीकृति के अन्तर्गत आवंटित अनुदान राशि का निकाय के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
17. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर।
18. परियोजना निदेशक/वरिष्ठ लेखाधिकारी (आयोजना/आयोजना भिन्न)/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), प्रभारी आई.एफ.एम.एस., निदेशालय।
19. बजट शाखा/अंक मिलान शाखा निदेशालय।
20. प्रभारी ई-गवर्नेंस/सचिव, सीएमएआर।
21. सुरक्षित पत्रावली।


वित्तीय सलाहकार

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वीकृत द्वितीय किस्त का आवंटन (राशि लाखों में)

क्र. सं.	नाम नगर निगम	भाग संख्या 29 बजट शीर्ष 2217-80-198 -(14)-[01]- 12	भाग संख्या 51 बजट शीर्ष 2217-80-198 -(14)-[02]-12	भाग संख्या 30 बजट शीर्ष 2217-80-198 -(14)-[03]-12	कुल आवंटित राशि (4+5+6)	विभागीय स्तर पर की गयी कटौति			कुल कटौतियाँ कॉलम 7 से 9	कटौति उपरान्त देय राशि			
						RUDF का वेटे कटौती	RUDF से सबको हेतु दिये गये अलग	CMAR की सदस्यता शुल्क की कटौती		भाग संख्या 29 बजट शीर्ष 2217-80-198 -(14)-[01]-12	भाग संख्या 51 बजट शीर्ष 2217-80-198 -(14)-[02]- 12	भाग संख्या 30 बजट शीर्ष 2217-80-198 -(14)-[03]-12	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
कोषालय जयपुर शहर (1108)													
1	जयपुर	1486.43	287.77	363.23	2137.43	173.55		8.00	181.55	1304.88	287.77	363.23	1955.88
कोषालय जोधपुर शहर (1117)													
2	जोधपुर	558.85	101.70	71.52	732.07	336.46	35.00	19.00	390.46	168.39	101.70	71.52	341.61
कोषालय कोटा (1118)													
3	कोटा	428.45	105.06	114.42	647.93		30.00	17.00	47.00	381.45	105.06	114.42	600.93
कोषालय अजमेर (1091)													
4	अजमेर	283.13	105.38	34.33	422.84	2.98		3.00	5.98	277.15	105.38	34.33	416.86
कोषालय बीकानेर (1099)													
5	बीकानेर	356.38	58.89	16.55	431.82			5.50	5.50	350.88	58.89	16.55	426.32
	योग	3113.24	658.80	600.05	4372.09	512.99	65.00	52.50	630.49	2482.75	658.80	600.05	3741.60
(अक्षरे रूपये सैंतीस करोड़ इकतालीस लाख साठ हजार मात्र)													
												२३ उप शासन सचिव	